न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 12/2022.(GCMS : 2022/305)

जगदीप सिंह पुत्र गुरनेब सिंह जाति जटसिख आयु 71 साल निवासी चक 6के(बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

--- अपीलार्थी

बनाम

1. **परविन्द्र सिंह पुत्र जगदीप सिंह** जाति जटसिख निवासी 6के (बी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
2. **परमजीत कौर पत्नी परविन्द्र सिंह** जाति जटसिख निवासी 6के (बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. श्रीमान उप पंजीयक अधिकारी, अनूपगढ़
4. तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

--- रेस्पोडेंट

17.04.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जगदीप सिंह एवं रेस्पोडेंट श्री परिवन्द्र सिंह, परमजीत कौर एवं हरविन्द्र सिंह स्वयं उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी श्री जगदीप सिंह ने कथन किया कि वह चक 6 केबी तहसील अनूपगढ का स्थाई निवासी है जो कि वृद्ध व्यक्ति है। उसके नाम से कृषि भूमि चक 6 के(बी) तहसील अनूपगढ़ में मुरब्बा नम्बर–5 का किला नम्बर–1 ता 25 कुल 5.075 हैक्टेयर तमाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, जिससे उसका उक्त कृषि भूमि की आय से भरण पोषण आसानी से होता था जो कि आजीविका का एकमात्र साधन था। अपीलांट की इस भूमि को अप्रार्थीगण ने वृद्ध अवस्था का लाभ उठाते हुए षडयंत्र पूर्वक तरीके से धोखे में रखकर दिनांक 27.03.2015 को आकर तथा यह विश्वास दिलाकर की उक्त जमीन की केसीसी भरनी है [illegible] आपको हमारे साथ चलकर केसीसी के फार्म पर [illegible] यह कहकर ले जाकर धोखा से उक्त जमीन का [illegible] करवा लिया। जिस [illegible] जानकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलांट को होने पर उसने अपने रिश्तेदारों को बुलाकर पंचायत की तथा पंचायत में यह तय हुआ कि उक्त बैयनामा गलत हो गये है, जिन्हे शून्य घोषित करवा दिया जावेगा तथा यह भी आवश्वासन दिया कि अपीलांट को उसके जीवन निर्वाह हेतु 50,000/– प्रतिमाह भरण पोषण का अदा किया जावेगा।इस दौरान रेस्पोडेंट अपीलांट से नाराज रहने लगेतथा उसने किसी प्रकार का भरण पोषण की राशि अदा नही की।

अपीलार्थी को आगे कथन था कि उसने अधीनस्थ न्यायालय में वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक 11.10.2022 को उसका प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को आदेशित किया कि वह प्रतिमाह 3000/– उसके बैंक खाता में जमा करवायेगे तथा जमा पर्ची न्यायालय में पेश करें।

अपीलार्थी का आगे कथन था कि वर्तमान में महंगाई को देखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र 3000/– रूपये मासिक निर्वाह भत्ता स्वीकार करने में भारी भूल की है क्योंकि वह वृद्ध व्यक्ति है एवं अक्सर बीमार रहता है और उसकी पत्नी जसविन्द्र कौर भी बीमार है और जैरईलाज है। जिसके ईलाज के लिए भी राशि को होना बहुत आवश्यक है क्योंकि दवाईयां आदि पर भी हर माह लगभग 5000/– रूपये का खर्च हो जाता है और उसके उपरान्त जीवनयापन के लिए भी कम से कम 5000/– रूपये तक बढ़ोतरी की जानी न्यायोचित है ताकि उसका जीवन निर्वाह आसानी से हो सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:20 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी का [illegible] अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय [illegible] आदेश दिनांक 11.10.2022 में संशोधन किया जाकर निर्वाह भत्ता की रा[illegible] महंगाई को देखते हुए बढाने के आदेश पारित किये जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत रेस्पोडंट संख्या 1 व 2 ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील बिना आाार के बिना कोई दस्तावेज के सबूत के पेश की गई है।

रेस्पोडेंट का आगे यह भी कथन था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आंशिक स्वीकार कर मासिक निर्वाह भत्ता राशि 3000/— रूपये दिये जाने के आदेश दिये है, वह भी गलत तथा बिना आधार के स्वीकार की गई है इसलिए निरस्त किये जाने योग्य हैं

उनका आगे यह भी कथन था कि चक 6 के (बी) तहसील अनूपगढ की 1.494 है. को बिना प्रतिफल बैयनामा अपने नाम करवाये जाना तथ्य अंकित किया है जो गलत है, इस सम्बन्ध में उसके द्वारा दस्तावेज जो राशि बैयनामा पेटे अदा की गई है उसकी रसीद व फोटो प्रति संलग्न है, जिससे प्रतिफल दिये जाने की पुष्टि होती है।

उनका आगे यह भी कथन था कि चक 6 के बी के मुरब्बा नम्बर 5 की 24 बीघा भूमि पुश्तेनी भूमि चक 11 एच तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 32 एवं अन्य मुरब्बा में अपने हिस्से की कुल 12 बीघे जरिये बैयनामा दिनांमक 11.01.1996 को बैयनामा कर, इससे प्राप्त राशि से उक्त भूमि खरीदी है जो जद्दी जायदाद की श्रेणी में आती है। उक्त भूमि अपनी माता दलीप कौर के नाम से बेचान एवं खरीद की गई है।

उनका आगे यह भी कथन था कि अपीलांट ने रेस्पोडेंट को दिनांक **10.12.2013 को जरिये ज्ञापन एवं पंचायत के रूबरू बेदखल कर दिया गया था** और रेस्पोडेंट से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं रखा था। उत्तरदातागण ने स्वयं अपने बल पर ही अपनी गृहस्थी को आबाद किया जबकि पिता भाई एवं परिवार के किसी भी सदस्य से कोई सहयोग नहीं मिला।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:20 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे यह भी कथन था कि उनसे अपने कडे परिश्रम के जरिये अपने पिता से उसकी बंधक रखी [illegible] भूमि जो बैक द्वारा नीलाम की जानी थी जिसको पंचायत ने [illegible] कीमत करके खरीद की और बैयनामा करवाने से पूर्व तमाम अपीलांट द्वारा लिये गये ऋण जिसका उपयोग उसने अपने ऊपर किया एवं अपने छोटे बेटे की शादी एवं उसके ऐशो आराम पर खर्च किया।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथा था कि अपीलांट द्वारा बैयनामा फर्जी होने बाबत पुलिस थाना अनूपगढ में एफआईआर संख्या 690/2021 दिनांक 19.12.2021 को रेस्पोडेंट के खिलाफ दर्ज करवाई गई थी जिस पर पुलिस थाना अनूपगढ़ द्वारा दस्तावेजों व तमाम गवाहों के बयानों के आधार पर दर्ज एफआईआर को झूठा मानते हुए दिनांक 31.12.2021 को अदमवकू में एफआर पेश कर दी। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने की प्रार्थना की है।

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और **पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** प्रार्थीगण ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 अन्तर्गत धारा 5 के अन्तर्गत उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के समक्ष पेश हुआ जिसमें उनके द्वारा निम्नानुसार दिनांक 11.10.2022 को निम्न निर्णय पारित किया है:

> अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी संख्या 01 व 01 को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी के जीवनयापन हेतु प्रतिमा 3000/— रूपये (तीन हजार रूपये मात्र) (अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 1500—1500/— रूपये प्रत्येक) प्रार्थी के खाता संख्या 05142191015717 बैंक — पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कृषि उपज मंडी समिति, अनूपगढ में जमा करवायें एवं जमा पर्ची प्रतिमाह न्यायालय में पेश किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त राशि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत माह दिसम्बर 2021 से देय होगी। प्रार्थी पंजीकृत बैयनामा के संबध में अनुतोष सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।
>
> -sd-
> (प्रियंका तलानिया)
> पीठासीन अधिकारी
> भरण पोषण अधिकरण, अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के उक्त निर्णय दिनांक 11.10.2022 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11.10.2022 को अपास्त कर **अपीलार्थी को प्रत्यर्थीगण से गुजारा भत्ता राशि महंगाई को देखते हुए बढाकर दिलवाई जाने की की प्रार्थना के साथ यह अपील अपने पुत्र परविन्द्र सिंह एवं पुत्रवधु परमजीत कौर के विरूद्ध पेश की है।**

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नहीं है।

2(ख) "भरण पोषण" के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्या और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क) के अनुसार पुत्रवधु सन्तान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है **इसलिए परमजीत कौर अप्रार्थी संख्या 2 –पुत्रवधु है इसलिए अपीलार्थी अप्रार्थी संख्या 2 से किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नहीं कर सकते है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:20 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक अपीलार्थी का [illegible] तर्क है कि वह वृद्ध है और बीमारी से ग्रस्त है और उसके [illegible] नही है और इसलिए उसे रेस्पोडेन्टस से प्रति माह भरण [illegible]ण दिलाया जावे। इस संबंध में अधिनियम की धारा 9 अवलोकनीय है जों निम्न प्रकार से है:–

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

9. भरण पोषण हेतु आदेशः– (1) यदि सन्तान या संबंधी, जैसी स्थिति हो, वरिष्ठ नागरिक का, जो स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है, भरण–पोषण करने से उपेक्षा करता है या नामंजूर करता है, तो अधिकरण, ऐसी उपेक्षा या नामंजूरी से समाधान होने पर, ऐसी सन्तानों का या संबंधियों को ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण हेतु ऐसी मासिक दर पर मासिक भता, जैसा कि अधिकरण ठीक समझे और ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को उसका भुगतान करने हेतु आदेश दे सकेगा, जैसा कि अधिकरण समय समय से निर्देश दें।

(2) अधिकतम भरण पोषण भता, जिसका ऐसे अधिकरण द्वारा आदेश दिया जा सकेगा, ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, **प्रतिमास दस हजार से अधिक नही होगा।**

उक्त धारा 9(1) के तहत माता पिता अगर अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है और संतान भरण पोषण करने से अपेक्षा करती है तो माता पिता अपनी संतानो से 10,000/–रूपये प्रति माह भरण पोषण पाने के हकदार है और अधिकरण जैसा ठीक समझे भरण पोषण निर्धारण कर सकता है। धारा 9(2) के तहत ऐसा भरण पोषण भत्ता 10000/– रूपये प्रति माह से अधिक देय नही होगा।

अपीलार्थी के दो पुत्र–परविन्द्र सिंह एवं हरविन्द्र सिंह है, जिनसे प्रार्थना पत्र में बराबर–बराबर भरण पोषण की मांग की जानी चाहिए थी, लेकिन अपीलार्थी ने केवल अप्रार्थी संख्या 01 परविन्द्र सिंह से ही भरण पोषण की मांग की है। लेकिन यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रार्थी एक वृद्ध व्यक्ति है जिसके पास खुद के जीवनयापन के लिए कोई जरिया या अन्य स्त्रोत नहीं है जिससे प्रार्थी का जीवनयापन करना संभव प्रतीत होता हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी का भरणपोषण करना रेस्पोडेंट का नैतिक और कानूनी उत्तरदायित्व भी है। **इसलिए रेस्पोडेंट संख्या 01 को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी के जीवनयापन हेतु 3000/— रूपये (तीन हजार मात्र) प्रतिमाह प्रार्थी के बैंक खाते में जमा करवायें तथा** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट को **माह दिसम्बर 2022 अपीलार्थी के खाते में राशि जमा करवाने के आदेश दिये गये थे, जो रेस्पोडेंट ने जमा नहीं करवाये है** इसलिए रेस्पोडेंट संख्या 01 को आदेशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.10.2022 से **भरण पोषण हेतु निर्धारित राशि को 18 प्रतिशत के ब्याज के हिसाब से अपीलार्थी के खाते में जमा करवायें।** अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को आदेशित किया जाता है कि रेस्पोडेंट संख्या 01—परविन्द्र सिंह यदि उक्त भरण पोषण राशि अपीलार्थी के खाते में एक माह में जमा न करवाये तो परविन्द्र सिंह की 6के (बी) की जमीन को नियमानुसार कुर्क कर अपीलार्थी के खाते में भरण पोषण राशि जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालनार्थ लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17—04—2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.06.01 13:03:20 IST
Reason: SelfAttested